न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
14/21	एफएसएस एक्ट, 2006	03/09/2021

1. प्रेमचन्द्र जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. मनोज कुमार सिंघल पुत्र श्री गोपाल लाल सिंघल उम्र लगभग 40 वर्ष जाति महाजन (विक्रेता व मालिक)–फर्म–मनोज हलवाई, प्राईवेट बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी निवसी हनुमान कॉलोनी ,नहर रोड गंगापुर सिटी।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांकः– 29.05.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 12.11.2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी द्वारा दूरभाष पर दी गयी सूचना के आधार पर लगभग 02:00 पी.एम. पर पुलिसथाना कोतवाली गंगापुर सिटी पहूँचा जहाँ थानाधिकारी ने आवेदक को एक तहरीर देकर बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान आज दिनांक 12.11.2020 को सूचना मिलने पर कल्याण जी गेट के पास एक महिन्द्रा एक्सयूीव नम्बर यूपी 80 सीडी 1990 गाडी में समय करीब 08:00 ए.एम. पर करीब 2–3 क्विंटल मावा पकडा जो संदिग्ध हो सकता है व गाडी के चालक गजेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी अशोक बिहार कॉलोनी गुरूद्धारा ,धौलपुर व मावा मंगवाने वाले मावा डीलर राकेश पुत्र जगदीश, दिनेश पुत्र गोविन्द प्रसाद तीनों व्यक्तियों को मावा व गाडी सहित थाने पर डिटेन किया हुआ है, अतः मावे की जांच हेतु सैम्पल लिया जावे। इन तीनों व्यक्तियों ने बताया कि इनमें से तीन टोकरी मावा फर्म मनोज हलवाई प्राईवेट बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी का है। तत्पश्चात् उसके मालिक को थाने में बुलवाया गया। जिसने अपना नाम मनोज कुमार सिंघल पुत्र श्री गोपाल लाल सिंघल उम्र लगभग 40 वर्ष जाति माहजन निवासी हनुमान कॉलोनी नहर रोड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर बताया गया। मनोज कुमार सिंघल को आवेदक ने अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। अभियुक्त मनोज से पूछने पर उसने एक पत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नाम लिखकर दिया एवं बताया कि मैने पुलिस अधिकारियों द्वारा पकडी गयी इस गाडी मे तीन टोकरी मावा धौलपुर से निखिल मावा भण्डार से मेरी दुकान फर्म मनोज हलवाई प्राईवेट बस स्टेण्ड गंगापुर सिटी पर मिठाई बनाकर आम जनता को बेचने के लिए मंगवाया है। मेरे पास इस मावे का कोई खरीद बिल नहीं है। एफबीओं मनोज कुमार सिघल की तीनों टोकरीयों के खोया मावा का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मोजूद विक्रेता व दुकान मालिक मनोज कुमार सिंधल से उक्त खाद्य पदार्थ खोया (मावा) में शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने को कहां तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये ।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ पदार्थ खोया (मावा) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरिदा जिसकी किमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 180/–रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में गजानन्द लोधा वार्ड बॉय द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 13.11.2020 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो शीशी भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2020/2014 दिनांक 03.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2101/एक्ट/2020/1998 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्‍

नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया (मावा) सबस्टेण्डर्ड पाया गया तथा उक्त जांच रिपोर्ट से अभियुक्त असंतुष्ट होने पर दूसरे भाग की रैफरेल प्रयोगशाला मैसूर से जांच करवाने बाबत् नमूना रैफरल प्रयोगशाला मैसूर भिजवाया। श्रीमान् निदेशक रैफरल प्रयोगशाला मैसूर के सर्टिफिकेट नं0 271/एफ/एफएसएसए/2020 दिनांक 29.06.2021 के अनुसार उक्त नमूना अवमानक स्तर प्रकृति का पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2101/एक्ट/2020/1998 दिनांक 26.11.2020 एवं श्रीमान् निदेशक रैफरल प्रयोगशाला मैसूर के सर्टिफिकेट नं0 271/एफ/एफएसएसए/2020 दिनांक 29.06.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित।अभियुक्तगण ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्तगण सं0 1 के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि अभियुक्त ने कभी भी धौलपुर के निखिल मावा भण्डार से कोई मावा नहीं मंगवाया। प्रार्थी को उक्त मावा बाबत् पूछताछ के लिए पुलिस थाना गंगापुर सिटी में बुलवाया था एवं प्रार्थी के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये जिसका दुरुपयोग किया गया है। प्रार्थी ने पुलिस थाना गंगापुर सिटी को स्पष्ट तौर से यह बता दिया गया था कि उक्त मावा व फर्म से कोई लेना–देना नहीं है। खाद्य निरीक्षक एवं पुलिस द्वारा की गई समस्त कार्यवाही फर्जी व प्रार्थी को फसाने के लिए गलत कार्यवाही की गई है, साथ ही प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2101/एक्ट/2020/1998 दिनांक 26.11.2020 एवं श्रीमान् निदेशक रैफरल प्रयोगशाला मैसूर के सर्टिफिकेट नं0 271/एफ/एफएसएसए/2020 दिनांक 29.06.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है,साथ ही पत्रावली में संलग्न अभियुक्त का स्वयं का प्रार्थना पत्र जिसमें प्रार्थी ने मावे से नमूना जांच कर शेष मावा वापस दिलवाने हेतु लिखा है तथा नमूना देने के बाद शेष मावा प्राप्त किया है,जिससे आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 को 10,000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्यथा स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...29.05.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी